भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 464
दिनांक 24 जुलाई, 2023

खाना पकाने के लिए पांरपरिक ईंधन का उपयोग

464# श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि महंगे एलपीजी (रसोई गैस) के दामों की वजह से गरीब तबके के लोग रसोई गैस सिलेंडर लेने की बजाय पुराने तरीको से भोजन बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं; और

(ख) वर्ष 2018 से अब तक एलपीजी (रसोई गैस) के दामों में वर्षवार कितना इजाफा हुआ है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा ली गई रिफिलों की संख्या वर्ष 2018-19 में 15.99 करोड़ (14.2 किग्रा. के समतुल्य) से बढ़ कर वर्ष 2022-23 में 34.48 करोड़ (14.2 किग्रा. के समतुल्य) हो गई है और इसी अवधि के दौरान प्रति पीएमयूवाई लाभार्थी औसत खपत 3.0 रिफिल्स (14.2 किग्रा. के समतुल्य) से बढ़ कर 3.71 रिफिल्स (14.2 किग्रा. के समतुल्य) हो गई है।

एलपीजी के लिए लाभ का सीधा अंतरण (डीबीटीएल) योजना के तहत यथा-स्वीकार्य राजसहायता पात्र लाभार्थियों के खाते में जमा कर दी जाती है। इसके अलावा, दिनांक 21 मई, 2022 से सरकार ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) लाभार्थियों के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 12 रीफिल्स हेतु 200 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता शुरू की है।

दिल्ली में अप्रैल, 2018 से घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों के ब्यौरे **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

अनुलग्नक

"खाना पकाने के लिए पारंपरिक ईंधन का उपयोग" के बारे में श्री राम नाथ ठाकुर द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2023 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 464 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

किस तारीख से प्रभावी है	दिल्ली में घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य (रुपए/14.2 किग्रा. सिलिंडर
01 अप्रैल 2018	653.50
01 अप्रैल 2019	706.50
01 अप्रैल 2020	744.00
01 अप्रैल 2021	809.00
01 अप्रैल 2022	949.50
01 अप्रैल 2023	1103.00

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

नोट: घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य में दिनांक 21 मई, 2022 से पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपए की निर्धारित राजसहायता शामिल नहीं है।